

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/97/2016-1/31/2016

लखनऊ: दिनांक ०६ अक्टूबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंग के रूप में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत राज्यांश मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-64/2016/2604/33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-14 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू०-64045.75 लाख के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंग के रूप में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत राज्यांश मद की रू०-20000.00 लाख के सापेक्ष रू०-17408.104 लाख (रूपये एक अरब चौहत्तर करोड़ आठ लाख दस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः प्राविधानित धनराशि से रू०-17408.104 लाख (रूपये एक अरब चौहत्तर करोड़ आठ लाख दस हजार चार सौ मात्र) उपरोक्तानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1-आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय झाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4-इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जवाहर भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन (गंगा एक्शन प्लान) नाम से खोले गये खाता संख्या-35111378080, आई०एफ०ए०सी० को० एस बी आई एन- 0006144 में जमा किया जायेगा।

6-भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु-13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित खाते से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा इसी प्रकार राज्य

सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जावेगी।

7-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-01-केंद्र प्रयोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के080/रा040-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

8-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। उक्त व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनपत्र संख्या-सीए-934/दस-2008-मि0-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आवंटन लिखी बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।


10-उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

11-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आवंटन एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-136 पर अंकित है।


संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दगेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/97/1/2016 उस्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निवास (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुदान-2 उ0प्र0 शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 6- उप निदेशक(प0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-06/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-97-2016-1-31-2016
 आवंटन आदेश संख्या:- 006-31-2016
 अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
 01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
 03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों
 (धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान 1740810400 प्रगामी 6404575000	1740810400 6404575000
	योग	वर्तमान 1740810400 प्रगामी 6404575000	1740810400 6404575000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया एक अरब चौहत्तर करोड़ आठ लाख दस हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया छः अरब चालीस करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी